रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2002/वैशाख 24, 1924
No. 124] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2002/VAISAKHA 24, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2002

विषय : चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से कास्टिक सोडा के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना

सं. 14/10/2002.— मै0 अलकली मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया ने घरेलू उद्योग की ओर से सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियम 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से कास्टिक सोडा के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरु करने तथा जांच शुरुआत की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

1. **शामिल उत्पादः** वर्तमान जांच में शामिल उत्पाद चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य के मूल का अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे आम तौर पर कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) । कास्टिक सोडा एक अकार्बनिक रसायन है और यह झागदार तेज अल्कालाइन गंधहीन रसायन है तथा इसका प्रयोग लुग्दी और कागज, अखबारी कागज, विस्कोस यार्न, स्टैपल फाइबर, एल्युमिनियम, सूत और धुलाई साबुन, डिटर्जेन्ट, रंजक औषधि और भेषज के विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है । कास्टिक सोडा दो रुपों अर्थात् द्रव और ठोस में उपलब्ध होता है । वर्तमान जांच में कास्टिक सोडा के सभी रुप शामिल है ।

कास्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत है । आगे यह भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित वस्तु वर्ण और कोडिंग प्रणाली पर आधारित) के अनुसार शीर्ष 28151101, 28151102 और 28151200 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं है ।

2. **घरेलू उद्योग की स्थितिः** यह याचिका घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हुए मै0 अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई है । भारत में कास्टिक सोड़ा के लगभग 40 घरेलू विनिर्माता हैं । अलकली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया भारत में कास्टिक सोडा के अधिकांश घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है । इस याचिका को घरेलू उत्पादकों में से 10 उत्पादकों ने स्पष्ट रुप से समर्थन किया है अर्थात्

i. मै0 डी सी डब्ल्यू लिमिटेड, मुंबई
ii. मै0 गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि0, बड़ोदरा, गुजरात
iii. मै0 गुजरात अल्कलीज, दाहेज
iv. मै0 सर्च कैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुंबई
v. मै0 इंडियन रेयन एण्ड इंडस्ट्रीज लि0, वेरावल, गुजरात
vi. मै0 ग्रासिम इंडस्ट्रीज, नागढ़ा, म0प्र0
vii. मै0 एसआइईएल कैमिकल कंपलैक्स, पटियाला, पंजाब
viii. मै0 बिहार कास्टिक एंड कैमिकल्स लि0, झारखण्ड
ix. मै0 जयश्री कैमिकल्स लि0, उड़ीसा
x. मै0 आंध्रा शुगर्स लिमिटेड, तनाकू
xi. विल्ट केमिकल्स, गुड़गॉव
xii. डी सी एम श्रीराम, नई दिल्ली
xiii. पंजाब ऐलकलीज एण्ड कैमिकल्स, चंडीगढ़

ये याचिकाकर्त्ता कंपनियां संबद्ध वस्तु के उत्पादन (वर्ष 2001-2002 के लिए वार्षिक) के 55.29 % का प्रतिनिधित्व करती हैं और इस प्रकार उनके पास पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3)(क) और (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने का आधार है ।

3. **शामिल देशः** वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य हैं ।

4. **समान वस्तुः** याचिकाकर्त्ता ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित, उत्पादित वस्तु के समान है क्योंकि दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है । याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित वस्तु को नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

5. **सामान्य मूल्यः** प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने एक ऐसे द्वितीयक स्रोत जो ऐसी वस्तुओं की कीमतें प्रकाशित करता है, में निर्दिष्ट सामान्य बिक्री कीमतों के आधार पर कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है । चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मानते हुए समुचित समायोजनों के साथ परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर किया गया है । प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया कोरिया गणराज्य में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर द्वितीयक स्रोतों में उपलब्ध सूचना के आधार पर और चीन जनवादी गणराज्य में परिकलित सामान्य मूल्य के आधार पर विचार किया है।

6. **निर्यात कीमतः** याचिकाकर्त्ता ने वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआइएस) के आंकड़ों, सीमाशुल्क के आंकडों का संकलन करने वाले एक द्वितीयक स्रोत और कास्टिक सोडा के आयातकों में से एक आयातक नेशनल एल्युम्यूनियम कंपनी (नाल्को) द्वारा जारी निविदा के आधार पर सी आई एफ कीमत को दर्शाया है । कारखानागत निर्यात कीमत का

निर्धारण समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी भाड़े और पत्तन खर्चों के संबंध में सामायोजनों की अनुमति देने के बाद किया गया है ।

7. **पाटन मार्जिनः** इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस कीमत से काफी अधिक है जिस पर इसका भारत को निर्यात किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

8. **क्षति एवं कारणात्मक संबंधः** प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य में निर्यातकों की स्थापित क्षमता संबद्ध वस्तु की पर्याप्ततः मुक्त रुप से निपटान योग्य उपलब्धता के साथ-साथ संबद्ध देशों द्वारा भारत को संबद्ध वस्तु के निर्यात की कीमत के कारण कीमतों में कटौती हुई है और कटौती के रुप में वास्तविक क्षति का खतरा भी उत्पन्न हुआ है ।

9. **पाटनरोधी जांच की शुरुआतः** उपरोक्त पैराग्राफों को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी, सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तुओं के आरोपित पाटन की मौजूदगी उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं ।

10. जांच की अवधिः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2002 तक की है ।

11. सूचना देनाः संबंधित समझे जाने वाले संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है कि वे सूचना निर्धारित प्रपत्र में तथा निर्धारित ढंग से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने-विचारों से अवगत कराएं-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग,
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है ।

12.समय सीमाः वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रुप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 40 दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों तथा आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर सूचना प्रस्तुत करनी होगी ।

13. सभी हितबद्ध पार्टियों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गयी किसी सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराना होगा । तथापि कृपया नोट करें कि यह सूचना नियम 7(1) और 7(2) के अनुसार स्वीकृति के अधीन होगी ।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षणःनियम 6(7) के अनुसार, कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं ।

15. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समयावधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर सकते है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2002

Subject : Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Caustic Soda from People's Republic of China and Korea RP.

No. 14/10/2002.— M/s Alkali Manufacturers Association of India (AMAI) on behalf of the Domestic industry has filed a petition, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Caustic Soda from People's Republic of China and Korea RP (herein after called subject countries) and has requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping Duties retrospectively from the date of initiation of investigation.

1. **Product Involved**: The product involved in the present petition is SodiumHydroxide commonly known as Caustic Soda (also referred to as subject goods hereinafter) originating in or exported from People's Republic of China and Korea RP. Caustic Soda is an inorganic chemical and is soapy, strongly alkaline odorless chemical and finds application in various field like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, and laundry soaps, detergent, dyestuff drugs and pharmaceuticals, petroleum refining, etc. Caustic Soda is available in two forms i.e. Lye and solids. The present investigation covers all forms of Caustic soda.

   Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Custom Tariff Act, 1975. It is further classified as per Indian Trade Classification (Based on Harmonized Commodity Description and Coding System) under the heading 28151101, 28151102 and 28151200. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. **Domestic Industry standing:**

   The petition has been filed by the Alkali Manufacturers Association of India representing the Domestic Industry. There are about 40 Domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The Alkali Manufacturers Association of India represents most of the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The petition has been expressly supported by ten of the domestic producersm i.e.

   (i) M/s DCW Limited, Mumbai

(ii) M/s Gujarat Alkalis & Chemicals Limited, Vadodara Gujarat
(iii) M/s Gujarat Alkalies, Dahej
(iv) M/s Search Chem Industries Limited, Mumbai
(v) M/s Indian Rayon and Industries Ltd., Veraval, Gujarat
(vi) M/s Grasim Industries, Nagda, M.P.
(vii) M/s SIEL Chemical Complex, Patiala, Punjab
(viii) M/s Bihar Caustic & Chemicals, Ltd., Jharkhand
(ix) M/s Jayshree Chemicals Limited, Orissa
(x) M/s Andhra Sugars Limited, Tanaku
(xi) Bilt Chemicals, Gurgaon
(xii) DCM Sriram, New Delhi
(xiii) Punjab Alkalies & Chemicals, Chandigarh

These petitioner companies represent 55.29% of the subject goods production (annualised for 2001-2002) and thus have the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per rule 5(3) (a) and (b) of Anti-Dumping Rules.

3. **Countries Involved**: The countries involved in the present investigation is People's Republic of China and Korea RP.

4. **Like articles:** The petitioner has claimed that the goods produced by them are like article to the goods produced, originating in or exported from the subject countries as both are used interchangeably. The Goods produced by the petitioner are being treated as like articles to the goods imported from the subject countries within the meaning of the Rules 2(d).

5. **Normal value**: The Authority notes that the petitioner has claimed normal value of subject goods in Korea RP on the basis of the selling prices indicated in a secondary source which publishes prices of such goods. The normal value of subject goods in PR China have been claimed on the basis of constructed normal value with appropriate adjustments treating China as a non-market economy. The Authority has prima facie considered the normal value of subject goods in Korea RP on the basis of information in the secondary sources and that in PR China on the basis of the constructed normal value.

6. **Export Price**: The petitioners have indicated CIF prices on the basis of the Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S) data, a secondary data source compiling custom's data and the tender floated by the National Aluminum Company (NALCO) Ltd., one of the importers of Caustic Soda. The ex-factory export price has been evaluated by allowing adjustments on ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight and port expenses.

7. **Dumping margin**: There is sufficient prima-facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the price at which it has been exported to India indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

8. **Injury and Causal Link** : The Authority notes that the installed capacity and availability of sufficiently freely disposable subject goods by exporters in the subject countries, coupled with the export prices of subject goods to India by subject countries have caused price undercutting and also pose a threat of. material injury to the domestic industry by way of price suppression and undercutting

9. **Initiation of Anti-Dumping Investigation**: The authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

10. **Period of investigation**: The period of investigation for the purpose of present investigation is 1st April, 2001 to 31st March, 2002.

11. **Submission of Information**: The exporters in the said countries and importers in India known to be concerned are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and make their views known to:-

The Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan
New Delhi-110011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. **Time limit:** Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are however, required to submit the information within 40 days from the date of letter addressed to them separately.

13. All parties must provide a non-confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti-Dumping Rule 7(2).

Please, however, note that such information will be subject to acceptance in terms of Anti-Dumping Rule 7(1) and 7(2).

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE:

In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

15. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.